

21/11/21
21/11/21

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
रवधायन मेरी पुत्र दानायन पण्ड चौवणी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 275/2021

GCMS No. 2021/1036

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हूए

21/11/21

वादी श्री रवधायन मेरी पुत्र दानायन
जाति पण्ड निवासी चौवणी द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चण्डिका
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-1075
ग्राम चौवणी पटवार मण्डल चौवणी के खाता
नम्बर 298 305 307 में वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि
रवधायन पुत्र दानायन
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम रवधायन मेरी पुत्र दानायन

है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 7261 7981 7135

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज PAN card
E2FPB 72116 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी चौवणी भू.अ.नि. 106/2021
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल होकर
हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

1133-7135